सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त निःशक्तजन

Court of Chief Commissioner for Persons with Disabilities

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

Ministry of Social Justice & Empowerment

निःशक्तता कार्य विभाग / Department of Disability Affairs

केस संख्या : 572/1033/2013 **दिनांक : 07.03.2014**

के मामले मेः-

श्रीमती श्यामकली,
माता - श्री प्रदीप पटेल,
द्वारा - श्रीमती प्रेमजीत हर्र,
पुत्री - लेफ्टीनेन्ट पीतम सिंह हर्र,
डी-180-एफ, फ्रीडम फाइटर एनक्लेव,
नेब सराय (इग्नु रोड),
नई दिल्ली-110068. ..... शिकायतकर्ता

बनाम

नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइण्ड,
द्वारा - अध्यक्ष,
सेक्टर - 5, आर. के. पुरम,
नई दिल्ली - 110022. ..... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः-03.03.2014

उपस्थितः

1. श्रीमती श्यामकली, शिकायतकर्ता तथा साथ में मास्टर प्रदीप पटेल (पुत्र)एवं श्रीमती परमजीत हर्र।

2. सुश्री शान्ता रंगाराजन और श्री शैलेन्द्र, प्रतिवादी की ओर से ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, श्रीमती श्यामकली, माता - मास्टर प्रदीप पटेल, जोकि 100 प्रतिशत दृष्टिबाधित बालक है, ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी), अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत अपने बालक की नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाईण्ड द्वारा नेत्रहीन बच्चों के होस्टल से जबरदस्ती निकाले जाने के संबंध में शिकायत दिनांक 09.10.2013 प्रस्तुत की ।

2. शिकायतकर्ता, का कहना है कि उनका पुत्र सन् 2004 से 18.09.2013 तक नेशनल ऐसिएशन फॉर दि ब्लाईण्ड, नई दिल्ली के नेत्रहीन बच्चों के हॉस्टल में रहता था । दिनांक

.....2/-

17.09.2013 को श्री अरविन्द, जनरल सेक्रेटरी ने शिकायतकर्ता को फोन करके बुलाकर बताया कि मास्टर प्रदीप ने हरिन्दर नामक एक बच्चे को झूले से गिरा दिया है, इसलिए उसे हॉस्टल से निकाला जा रहा है । दिनांक 18.09.2013 को सुबह 10 बजे शिकायतकर्ता जब हॉस्टल पहुंची तो जबरदस्ती बेटे को घर ले जाने को कहा गया और यह भी कहा कि लिखकर दे कि अपनी मर्जी से हॉस्टल छोड़ रहे हैं । शिकायतकर्ता के मना करने पर श्रीमती शान्ता रंगराजन, प्राचार्य के कक्ष में जो लड़की कंप्यूटर चलाती है, ने अपने हाथों से आवेदन लिखा और शिकायतकर्ता के नाम का हस्ताक्षर करके और मोहर लगाकर आवेदन-पत्र शिकायतकर्ता को दे दिया । सांयकाल शिकायतकर्ता मास्टर प्रदीप को अपने घर ले गई । मास्टर प्रदीप ने बताया था कि हरिन्दर को दूसरे बच्चे ने गिराया था और वह स्वयं साइड में खड़ा था । शिकायतकर्ता के अनुसार बच्चे पर झूठा आरोप लगाया गया है ।

3. अधिनियम की धारा 59 के अधीन मामले को प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 25.10.2013 द्वारा उठाया गया ।

4. प्रतिवादी ने अपने पत्र दिनांक 07.11.2013 द्वारा सूचित किया कि मास्टर प्रदीप पटेल को उसके द्वारा एक लड़की को अभद्र भाषा कहने के अपराध में एक सप्ताह के लिए निलम्बित किया गया था । उसके परिवार वाले दिनांक 09.09.2013 को उसे हॉस्टल से ले गए और 15.09.2013 को वापस हॉस्टल छोड़ गए । उसके माता-पिता से यह वचन लिया गया था कि वह विद्यालय और हॉस्टल में अच्छा व्यवहार करेगा और यदि उसने इस नियम का उल्लंघन किया तो उसको हॉस्टल से निष्कासित कर दिया जाएगा । दिनांक 16.09.2013 को उसने हरिन्दर नामक एक बच्चे को झूले से जमीन पर गिरा दिया जिससे उसके दो दांत टूट गए और उसकी ठोडी में चोट लगने के कारण 6 टांके लगाए गए । हरिन्दर को संभालना कठिन हो गया था क्योंकि जख्म के कारण वह खाने-पीने के लायक नहीं था । घटना के बाद प्रदीप पटेल के माता-पिता को भी बुलाकर उसको ले जाने को कहा गया । दूसरे बच्चे अनुराग को भी निलम्बित किया गया था । प्रतिवादी का यह भी कहना था कि किसी बच्चे को उसकी पहली गलती पर दण्ड नहीं दिया जाता, उसको केवल चेतावनी दी जाती है । जब चेतावनी के बावजूद भी बच्चा ठीक से व्यवहार नहीं करता है तो इस तरह के कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है ।

5. प्रतिवादी से प्राप्त पत्र दिनांक 07.11.2013 की प्रति शिकायतकर्ता के टिप्पण हेतु इस न्यायालय के पत्र दिनांक 27.11.2013 द्वारा भेजी गई थी ।

6. शिकायतकर्ता ने अपने प्रत्युत्तर दिनांक 26.11.2013 में कहा है कि बच्चे से खेल-खेल में यह गलती हुई थी और यह ऐसे अपराध का विषय नहीं है कि उसे हॉस्टल से निकाला जाए । नेत्रहीन बच्चों के लिए विद्या ही उसके ऑखों की ज्योति होती है और हॉस्टल उसका घर । प्रदीप पटेल से उसकी उम्मीद छीन ली गई । यह संस्था ऐसे ही बच्चों के लिए है, अगर बच्चे को निकाला जाना ही उपाय है तो इससे संस्था के सोच की परिपक्वता नही दिखाई देती । प्रदीप पटेल अभी केन्द्रीय विद्यालय जेएनयू में पढ़ता है जहां एक दृष्टिहीन बालक के लिए जो सुविधा मिलनी चाहिए वह नहीं

मिल पा रही है । उसकी पढ़ाई छूट गई है । शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि यदि उसे हॉस्टल से निकालने की जिद्द है तो किसी और हॉस्टल में उसे रहने और पढ़ने की व्यवस्था करवाई जाए ।

7. प्रतिवादी के उत्तर दिनांक 07.11.2013 एवं शिकायतकर्ता के टिप्पण दिनांक 26.11.2013 के मद्देनजर मामला सुनवाई के लिए दिनांक 03.03.2014 को नियत किया गया ।

8. दिनांक 03.03.2014 को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षकारों ने अपने लिखित निवेदनों को दोहराया । ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरी घटना दुर्घटनात्मक थी । प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने यह निवेदन किया कि मास्टर प्रदीप पटेल के संबंध में की गई कार्रवाई नियमानुसार थी और इसलिए भी आवश्यक थी कि हॉस्टल में अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है । उन्होंने आगे कहा कि शिकायतकर्ता के घर के समीप एक केन्द्रीय विद्यालय है और नेशनल एसोसिएशन फार दि ब्लाइण्ड मास्टर प्रदीप पटेल को केन्द्रीय विद्यालय, जेएनयू से केन्द्रीय विद्यालय, बदरपुर में स्थानान्तरण हेतु प्रबंध कर सकती है । उसके लिए आडियो फोरमेट में ब्रेल पुस्तकें, परीक्षा के लिए लेखक की सुविधा आदि का प्रबंध भी करेगी । तथापि, यदि नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइण्ड का प्रबंधमंडल मास्टर प्रदीप पटेल को वापस लेने का निर्णय लेता है तो मास्टर प्रदीप पटेल के लिए यह आवश्यक होगा कि वह नियमित तौर पर रिसोर्स कक्षाओं में भाग ले, जोकि उसके द्वारा हॉस्टल सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्राथमिक कारण होगा ।

9. दोनों पक्षकारों को सुनने एवं शिकायतकर्ता और प्रतिवादी के लिखित कथनों पर विचार करने के पश्चात् यह न्यायालय समझता है कि दूसरी घटना संयोगवश हुई होगी, जिसके लिए बालक मास्टर प्रदीप पटेल संदेह का लाभ पाने का पात्र है । अन्यथा भी, यह न्यायसंगत है कि सुधार के लिए अवसरों से मना न किया जाए ।

10. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण से शिकायतकर्ता के अभिभावक स्कूल प्रबंधतंत्र की सहायता से प्रयास करे कि मास्टर प्रदीप पटेल हॉस्टल में अनुशासन बनाए रखे और नियमों का पालन करते हुए रिसोर्स कक्षाओं में नियमित रूप से भाग ले ।

11. प्रतिवादी को भी यह सलाह दी जाती है कि वे मास्टर प्रदीप पटेल को होस्टल में रहने की सुविधा देने पर पुनर्विचार करें जोकि वह इस सुविधा का लाभ इस सुविधा को वापस लेने से पहले उठा रहा था ।

12. मामले का उपरोक्त संप्रेक्षणों के साथ निपटारा किया जाता है ।

(पी. के. पिन्चा)
मुख्य आयुक्त (निःशक्तजन)